[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i)]

## GOVERNMENT OF INDIA

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, 7th June, 2019

G.S.R.....(E).\_ In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation)** Rules, 2014, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the **Companies** (Incorporation) Sixth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 15<sup>th</sup> August, 2019.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules), in rule 19,-

(i) in sub-rule (1), for the words, letters and figures "Form No.INC.12", the words, letters and figures "Form INC-32 (SPICe)" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (3),

- (a) in clause (a), for the words "the draft memorandum", the words "the memorandum" shall be substituted;
- (b) in clause (b), for the words "the draft memorandum", the words "the memorandum" shall be substituted;

3. In the Annexure to the said rules,-

(i) in Form no.INC-11, in the heading, after the words and figures "sub-section(2) of section 7", the words and figures "and sub-section (1) of section 8" shall be inserted.

(ii) For "Form No.INC-12", the following Form shall be substituted,

FORM NO. INC- 12 (Pursuant to section 8(5) of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]	सत्यमंब जचते	Application for grant of License to an existing company under section 8
Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the for	m.	
<sup>*</sup> (a) Corporate identity number (CIN) (b) Global location number (GLN) of compan	у	Pre fill
(a) Name of the company (b) Address of the company (c) email ID of the company		·
(a) Company is (b) Category (d) Whether the company is having share cap I. Authorized capital of the company II. Maximum number of members	(c) Sub category pital @Yes @No	es

MCA 21

Page 2 of 7

L L	b. Brief description of the work, if any already done or proposed to be done in pursuance of section 8
L	
*	c. Grounds on which application is made
Г	
	ter the number of directors
	pecify information of two directors in case the company is a private company or three directors in case
tł	ne company is a public company)
D	articulars of the directors
1	
	*Designation
	Pre-fill
	*Director identification number (DIN)
	Name of the person
	Name of the company or institution
	whose nominee the appointee is
	(Only in case of nominee director)
11	
	*Designation
	Pre-fill
	*Director identification number (DIN)
	Name of the person
	Name of the company or institution
	Name of the company of mattadon

whose nominee the appointee is
(Only in case of nominee director)
7.*Enter the number of key managerial personnel (Specify information of up to four key managerial persons) Particulars of the key managerial personnel
1
*Designation Pre-fill
*Director identification number (DIN) or Income-tax permanent account number (PAN)
Name of the person
Membership number (in case of Company Secretary)
*Designation Pre-fill
*Director identification number (DIN) or Income-tax permanent account number (PAN)
Name of the person
Membership number (in case of Company Secretary)
,
8. (a) *Whether the Articles are entrenched
(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto) (b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

S	Sr. Article	Content	
No. Number			Attach
Atta	chments		
			Attach
1)		articles of association	Attach
2)	*Declaration as per F		Attach
3)	*Declaration as per F		Attach
1)		nd expenditure for next three years	Attach
5)		e/NOC of the concerned authority/sectoral regulator, department or Ministry	Attach
	of the Central or State	e Government(s)	
5)	Entrenched articles of	association	
'		ssed in general meeting and board meeting	Attach Attach
		nancial statement(s), board's report(s) and Audit report(s)	Attach
27		statements with their values as per applicable rule	Attach
	List of directors.		Attach
'	List of key managerial	personnel.	
	Optional attachment,		
		Declaration	
[		5	
[ *			
h e u'm	and hu the Reard of Div	rectors of the Company vide resolution number dated	
			r in respect
		e requirements of Companies Act, 2013 and the Rules thereto made thereunde ter of this form have been complied with.	r in respect
C	attachments to thi *It is hereby furthe Membership numb		having has been
	EIUdueu IO UIVE OF		ileu.
[	engaged to give di		
	be digitally signed b	DSC BOX	
		DSC BOX	
		y DSC BOX	

MCA 21

PAN or DIN of the manager or CEO or CFO Note: Attention is drawn to provisions of Section 7(5) and 7(6) which, inter-alia, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of Section 448 and
Membership number of the company secretary; or
*Director identification number of the director; or

p-fg	Check Form	Prescrutiny	Scilothiu
For office use only :		sift of ing decars	
eForm Service request nur	mber (SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
Digital signature of the au This e-Form is hereby appr	[anna	L	
This e-Form is hereby rejec	ited I	Corren Scobersens	
Date of signing		(DD/MM/YYYY)	

(iii) in Form No.INC-32 (SPICe form),-

(a) in the heading , for the words and figures "Pursuant to sections 4, 7, 12, 152 and 153", the words, figures and brackets "pursuant to sections 4, 8(1), 7, 12, 152 and 153" shall be substituted;

(b) in serial number 1, item "(g) Section 8 license number" shall be omitted.

(c) in attachments, after item no.19, the following item shall be inserted.

"20. Declaration in Form No.INC-14;

21. Declaration in Form No.INC-15;

22. Optional attachment(s), (if any).".

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.III]

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date	
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015	
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015	
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016	
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016	
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016	
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016	
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016	
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017	
9.	G.S.R.955 (E)	27-07-2017	
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018	
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018	
12.	G.S.R.708 (E)	27-07-2018	
13.	G.S.R.1219 (E)	18-12-2018	
14.	G.S.R.144 (E)	21-02-2019	
15	G.S.R.180 (E)	06-03-2019	
16	G.S.R.275(E)	29-03-2019	
17	G.S.R.332(E)	25-04-2019	
18	G.S.R.357 (E)	10-05-2019	

## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 जून, 2019

सा.का.नि. \_\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **कंपनी (निगमन)** नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) छठा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये 15 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 19 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "प्ररूप संख्या आईएनसी.12" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई)" शब्द, अक्षर और अंक रख जाएंगे।

(ii) उपनियम (3) में,

(क) खंड (क) में "संगम ज्ञापन प्रारूप" शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन" रखा जाएगा।

(ख) खंड (ख) में, "संगम ज्ञापन प्रारूप" शब्दों के स्थान पर "संगम ज्ञापन" शब्द रखा जाएगा।

उक्त नियमों के उपाबंधों में,

(i) प्ररूप संख्या आई.एन.सी.- 11 में, शीर्षक में, "धारा 7 की उपधारा (2)" शब्दों और अंकों के बाद "और धारा 8 की उपधारा (1)" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
(ii) "प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-12" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा,

प्ररूप संख्या आईएनसी-12 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(5) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	धारा 8 के अधीन विदयमान कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी		
प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।		
1. + (क) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		(पूर्व पूरित)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन	)	
2. (क) कंपनी का नाम		
(ख) कंपनी का पता		
(ग) कंपनी का ई-मेल आईडीं		
3. (क) कंपनी है		
(ख) श्रेणी		(ग) उप-श्रेणी
(घ) क्या कंपनी की अंश पूंजी है		Oहां Oनहीं
4. I. कंपनी की प्राधिकृत पूंजी		
II. सदस्यों की अधिकतम संख्या		
वर्तमान और विगत कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों	की अधिकतम संर	GAT
5. क कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाग		
मुख्य प्रभाग का विवरण		
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई पहले ही किया	गया हो या धारा	8 के अनुसरण में किया जाना प्रस्तावित हो
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

' ग. आधार जिन पर आवेदन किया गया है
6. निदेशकों की संख्या प्रविष्ट करें
(यदि कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो दो निदेशकों या यदि कंपनी कोई पब्लिक कंपनी है तो तीन निदेशकों की सूचना विनिर्दिष्ट करें)
निदेशकों का ब्योरा I.
+ पदनाम
* निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) (पूर्व पूरित)
व्यक्ति का नाम
उस कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त व्यक्ति है
(केवल नामनिर्देशिती निदेशक के मामले में)
II
पदनाम प्र्व प्रित
् निदेशक पहचान संख्या (डिन)
व्यक्ति का नाम
उस कंपनी अथवा संस्था का नाम जिसका नामनिर्देशिती नियुक्त व्यक्ति है
(केवल नामनिर्देशिती निदेशक के मामले में)
7.* प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संख्या प्रविष्ट करें
(चार प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों तक की सूचना विनिर्दिष्ट करें)

.

प्रमुख प	प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा
· 4	पूर्व प्रित
· 6	नेदेशक पहचान संख्या (डिन) या
आर	यकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
व्यो	क्ति का नाम
सदर	स्यता संख्या ( कंपनी सचिव की दशा में )
I	
ſ	पदनाम
	निदेशक पहचान संख्या (डिन) या
	आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)
	व्यक्ति का नाम
	सदस्यता संख्या ( कपनी सचिव की दशा में )
. (क)	क्या अनुच्छेदों की छँटनी की गई है 🗆 हाँ 🗆 लहीं
	( यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेदों को उसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए)
	अनुच्छेद की संख्या जिसपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे
ऐ	से अनुच्छेदों के ब्योरे जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे

.

क्र. सं	. अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु		संलग्न करें
			-	
	1			
) * ₹	नंगम ज्ञापन और संगम	अनुच्छेद		संलग्न करें
) 5	ररूप सं. आई एन. सी.	14 के अनुसार घोषणा		संलग्न करें
) 5	रूप सं आई. एन सी.	15 के अनुसार घोषणा		संलग्न करें
) . 3	भगले तीन वर्षों के लिए	अनुमानित आय और व्यय		संलग्न करॅ
) संब	धित प्राधिकारी / सेक्टोर	ल विनियामक, केंद्रीय या राज्य र	सरकार (रों) के विभाग या मंत्रालय	संलग्न करें
का	अनुमोदन / सहमति / 1	नेराक्षेप प्रमाण पत्र		
) ন্ট্র	नी किए गए संगम अन्	च्छेद		मंलग्न करें
आव	, म सभा और बोर्ड बैठक व	ने पारित संकल्प की प्रति		संलग्न करें
) पिर	ब्रले एक / दो वर्ष के वित	तीय विवरण(णों), बोर्ड रिपोर्ट(टौं)	और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट(टीं) की प्रति	संलग्न करें
) লাগ	ू नियम के अनुसार आ	स्तियों और दायित्वों संबंधी विवरण	1 उनके मूल्य सहित	संलग्न करें
0) निटे	शकों की सूची			मंत्राज्य करे
l) प्रमु	ख प्रबंधकीय कार्मिक की	सूची		संलग्न करें
2) वैक	ल्पिक सलग्नक, यदि को	ई हो		संलग्न करें
		घोषणा		
f				
			-	
	तारीख	के संकल्प स.	द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रा	धेकृत,
	घोषणा करता हूँ कि इस	प्ररूप की विषय-वस्तु के बाबत कं	पनी अधिनियम, 2013 तथा उनके अधीन व	बनाए गए नियमों
	की सभी अपेक्षाओं का 3	0	e E de ar	
	-मैं यह भी घोषणा करत कोई तथ्य छिपाया नहीं		हित इसमें दी गई सभी स्चना सत्य, संही	और पूर्ण है और

🛛 'यह और प्रमाणित किया जाता है कि	, जिसकी सदस्यता संख्याहै और
प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र	है, को धारा 8(5) और (ख) और नियम 20(2)(ख) के
अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गय	T है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।
द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर जिस जरते हैन	
किए जाने हेतु	
पदनाम	
	1
) निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या	
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या	
	¥
प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्त अधिका	री का पैन या डीआईएन
टिप्पण : धारा 7(5) और 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आक	ष्ट किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया
	त्य विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा
	और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें
क्रमश: गलत बयान और गलत साक्ष्य के लिए सजा	
	an orana manan an bi
	[] []
उपांतरित करें प्ररूप की जाँच करें	पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें
	1
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए :	
भग्यल कायालय के उपयोग के लिए :	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या ( एसआरएन ) ई-	-प्ररूप फाइल करने की तारीख़ ( दि.दि. / मास / वर्ष )
यह ई-प्ररूप स्वीकृत किया जाता है	
यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है	(गाननि) की पछित्र कों।
to the second to the second formation of the	[प्रस्तुति की पुष्टि करें]
हस्ताक्षर की तारीख ( दिन / महीना / वर्ष	)["]

1

.

(iii) प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई प्ररूप) में, -

(क) शीर्षक में, "धारा 4, 7, 12,152 और 153 के अनुसरण में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 4, 8(1), 7, 12, 152 और 153 के अनुसरण में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 1 में, उपमद "(छ) धारा 8 लाइसेंस संख्या" का लोप किया जाएगा।

(ग) संलग्नकों में, मद संख्या 19 के बाद, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे।

"20. प्ररूप संख्या आई.एन्.सी.- 14 में घोषणा;

21. प्ररूप संख्या आई.एन.सी.- 15 में घोषणा;

22. वैकल्पिक संलग्नक, (यदि कोई है)।"।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V, पार्ट-I, खंड-III] क.वी - उत्तार- म्र्रित क.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 दवारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं दवारा संशोधित किये गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि.955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि.49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि.284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि.708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि. 1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि.144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि. 180(अ)	06.03.2019
16.	सा.का.नि.275(अ)	29.03.2019
17.	सा.का.नि. 332(अ)	25.04.2019
18.	सा.का.नि. 357(अ)	10.05.2019

\*\*\*\*\*\*